

उत्तराखण्ड में GST पंजीकरण में छूट प्रदान

चर्चा में क्यों?

उत्तराखण्ड सरकार ने सौर उद्यमियों को मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत अनविरय वसतु एवं सेवा कर (GST) पंजीकरण से छूट देकर उन्हें महत्त्वपूर्ण राहत देने की घोषणा की है।

- इस पहल का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना तथा राज्य भर में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में नविश को प्रोत्साहित करना है।

मुख्य बढि

- उद्योग महानिदेशक एवं सडिंकुल (उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड) के प्रबंध निदेशक नेप्रवासी सम्मेलन के दौरान इस नरिणय की जानकारी दी।
 - इस बात पर प्रकाश डाला गया कयिह छूट सौर परियोजना नविशकों की लंबे समय से चली आ रही मांग के उत्तर में दी गई है, जनिहें GST पंजीकरण आवश्यकताओं के कारण देरी का सामना करना पड़ रहा था।
- मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत हज़ारों सौर संयंत्र पहले ही स्थापति कयि जा चुके हैं और कई और पर काम चल रहा है।
- इससे पहले, सौर ऊर्जा को GST से छूट मलिन के बावजूद, उद्यमियों को सब्सडिी का दावा करने के लयि GST में पंजीकरण कराना पड़ता था।
 - नई नीति इस चरण को समाप्त कर देती है, जसिसे प्रक्रिया अधिक कुशल हो जाती है तथा सौर परियोजना डेवलपर्स के लयि नौकरशाही संबंधी बाधाएँ कम हो जाती हैं।

उत्तराखण्ड सरकार का नवीकरणीय ऊर्जा वज़िन:

- यह नरिणय अकषय ऊर्जा और सतत विकास को बढावा देने के लयि उत्तराखण्ड सरकार की प्रतबिद्धता को दर्शाता है।
- नविश प्रक्रिया को सरल बनाकर, सरकार का लकष्य सौर ऊर्जा क्षेत्र में अधिक उद्यमियों को आकर्षति करना है, जसिसे आर्थिक विकास और प्र्यावरण संरक्षण दोनों में योगदान मलिया।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना

- उत्तराखण्ड ने सौर ऊर्जा खेती द्वारा स्वरोजगार के लयि 2020 में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की।
- इस योजना का उद्देश्य हरति ऊर्जा के उत्पादन को बढावा देना तथा उत्तराखण्ड के युवाओं और वापस लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है।
- इस योजना के प्रत्येक लाभार्थी को 25 कलिोवाट के सौर संयंत्र आवंटति कयि जाएँगे।